Vol 6 Issue 1 October 2016

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org

ISSN: 2249-894X Impact Factor :3.8014(UIF) Volume - 6 | Issue - 1 | October - 2016

Review Of Research

भारत में भण्डारण की आवश्यकता एवं निदान

डॉ.राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शासकीय महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.

शोध सारांश :–

भारत में भण्डारण या संग्रहण की आवश्यकता का जन्म प्राचीन काल में हुआ होगा, जैसे – जैसे समाज का विकास व विस्तार होता गया है, वैसे – वैसे भण्डारण या संग्रहण का प्रश्न भी जटिल होता गया है। आज संग्रहण का प्रश्न आर्थिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण बन चुका है। वर्तमान युग में किसी भी विकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था में संग्रहण की प्रक्रिया को विपणन व्यवस्था के एक प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार कर विशेष महत्व प्रदान किया जाने लगा है। जिस कारण उत्पादन तथा विपणन की आर्थिक क्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में इसकी उपयोगिता में निरन्तर वृद्धि हुई है, जो वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से काफी प्रभावित है। वैसे तो अंग्रेजों के शासन काल से ही भण्डारण या संग्रहण की दिशा में सुधारात्मक प्रयास शुरू किये गये थे, परन्तु संग्रहण अवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के कारण उनकी योजनाएँ प्रगति नही कर सकी।

प्रस्तावना :–

भारत में भण्डारगृह व्यवस्था का अस्तित्व उतना ही प्राचीन है जितना की भारत वर्ष। ऋगवेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन गन्थों में इसका प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। सिन्धु घाटी सभ्यता काल के एक प्रमुख नगर की खोदाई के दौरान विशाल भंण्डारागार के साक्ष्य प्राप्त हुए है। स्वातंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भण्डारण योजना के संबंध में पहल अवश्य की गई परन्तु कृषि उत्पादन कम होने, अवैज्ञानिक संग्रहण पद्धति एवं भंण्डारगृहों की कमी के कारण विकास न के बराबर हुआ। भारत जैसे विकासशील देश में भण्डारण या संग्रहण अत्यन्त व्यापक है क्योंकि यह देश की वृद्धिगत जनसंख्या की उपभोग आवश्यकताओं की सतत् एवं व्यापक पूर्ति बनाये रखने के लिए, उत्पादों की सुरक्षा, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, स्थानान्तरण, उचित वितरण, मूल्य स्थायित्व एवं कृषकों व उत्पदाकों को साख सुविधा दिलाने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाया जा रहा है। हमारे देश में लम्बे समय तक खाद्य असुरक्षा के कारण भुखमरी की स्थिति बनी रही क्योंकि हमारे यहाँ न तो जनसंख्या के अनुरूप उत्पादन था न ही भण्डारण क्षमता। कृषि उत्पादन का उपभोग मानव या तो स्वयं करता है या फिर उनकी खपत उद्योगों में होती है। सरकार को आपातकाल में देश को अकाल, सूखें विपत्ति, आदि के समय कृषि उपजों के वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण करने की आवश्यकता महसूस हुई परंतु सरकार के लिये खाद्यान्नों का उचित रख-रखाव, क्रय-विक्रय तथा जनता तक सरलतम व सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का कार्य अत्यंत जटिल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया।

प्रति वर्ष प्राकृति प्रकोप, असुरक्षित भण्डारण, कीड़ों, चूहों व चोरी आदि के कारण लगभग ५०,००० करोड़ रूपये का अनाज नष्ट हो जाता है। इसमें ८० प्रतिशत से अधिक हिस्सा सरकारी अनाज का है वैज्ञानिक सर्वेक्षण बताते है कि देश में उत्पादित खाद्यान्न का मुख्य भाग कीड़ों चूहों, पक्षियों, सीलन, फुंगी, गलत हैन्डलिंग, ट्रान्सपोटेशन तथा अवैज्ञानिक भण्डारण विधियों के कारण नष्ट हो जाता है, जो अनुमानतः प्रति वर्ष कुल उत्पादित खाद्यान्न का लगभग १० प्रतिशत यानि करीब ६ करोड़ मन या ३६ लाख टन है। इसमें से ६ प्रतिशत भाग तो केवल गलत भण्डारण के कारण नष्ट हो जाता है। यदि इसे नष्ट होने से बचा लिया जाता है तो वह संपूर्ण भारतवासियों के १५ दिनों के भोजन के लिये पर्याप्त होगी।

शोध आलेख के उद्धेश्य :–

शोध के निम्न उद्धेश्य है

१.संग्रहण व भण्डारण को जानना।

२.शासकीय स्तर पर किस दिशा में प्रयासों को जानना।

कल्पना :–

यह किसी भी शोध प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। मेरे इस आलेख की परिकल्पनायें निम्न है।

१.कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वांछित उन्नति एवं प्रमुख निर्यातक देश होने के बाद भी भण्डारण के क्षेत्र में प्रर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

२.कार्पोरेशन की भण्डारण प्रणाली में सुधार कर कृषकों व जमाकत्ताओं को अधिकतम लाभ दिया जा सकता है।

संग्रहण :–

यह बाद सर्वमान है कि मानव अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी भविष्य की आवश्कताओं की पूर्ति के लिये खाद्यान्न उत्पादों एवं धन का संग्रहण करता है। बचत करना भविष्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नियोजन है और यह सभी के लिये आवश्यक है । यह भी सत्य है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हैं, उत्पादित होते ही उपभोग नहीं कर ली जाती है। वरन् भविष्य के लिये उसका कुछ भाग संचित कर लिया जाता है। अतः उत्पादित वस्तु को उस अवधि तक सुरक्षित व व्यवस्थित रखना जब तक उसका उपभोग नहीं कर लिया जाता 'संग्रहण' कहलाता है।

प्रसिद्व अर्थशास्त्री प्रो० क्लार्क एण्ड क्लार्क के अुनसार – 'संग्रह माल रखने एवं रक्षा करने की रीति है' एवं प्रो० पाइले के अनुसार – 'संग्रह समय उपयोगिता प्रदान करता है तथा वस्तुओं के एक समय या ऋतु में उत्पादन होने और दूसरे समय में उपयोग किये जाने के मध्य में जो समय का असंतुलित उत्पादन होता है उसको ठीक करता है।' अतः उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संग्रहण वह विधि है, जो कि भविष्य की आवश्यकताओं की समस्या का समाधान करती है।

उत्पादन प्राणाली में जितना गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार होता जायेगा, संग्रहण की आवश्यकता एवं महत्व उतना ही बढ़ता जायेगा।

भण्डारण :–

साधारणतया संग्रहण और भण्डारण में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है लेकिन भण्डारण शब्द विस्तृत है, इसमें संग्रहण भी आता है। इसे कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे – विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से संग्रहण, 'भण्डारण' कहलाता है, अथवा भण्डारगृहों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा विभिन्न स्कंधों का लंबित अवधि के लिये रखा जाना, 'भण्डारण' कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि संग्रहण एक कार्य है जबकि भण्डारण एक प्रक्रिया है।

भण्डारण एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, जो कृषि उत्पादन में समय उपयोगिता का ह्रास होने से बचाती है। भण्डारण की आवश्यकता समयानुकूल उत्पादन, मौशमी मांग, वस्तु के गुण, मांग व पूर्ति में संतुलन, मुद्रा प्रसार व मुद्रा स्फिति पर नियंत्रण, विपणन की विभिन्न क्रियाओं, तत्कालिन आवश्यकताओं, उत्पादकों व व्यापारियों के संदर्भ में भी देखी जाती है।

भण्डारगृह :–

भण्डारगृह वह भवन या स्थान है, जहां पर विशिष्ट संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक वस्तुओं का संग्रहण वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। भण्डारगृह अधिनियम १९७४ के अनुसार भण्डारगृह से आशाय एक भवन या सुरक्षित घेराबंदी से है, जिसमें कृषि उत्पादकों संग्रहित किया जाता है या किया जा सकता है।

भण्डारगृहों के प्रकार :–

भण्डारगृह कई प्रकार के होते है। जिसमें उत्पादक, व्यापारिक अथवा कृषक अपने उत्पाद को आवश्यकता न पड़ने तक या उचित मूल्य प्राप्त न होने तक रख सकता है, जैसे– निजी भण्डारगृह, सर्वजनिक भण्डारगृह, सरकारी भण्डारगृह, सहकारी भण्डारगृह, नियंत्रक भण्डारगृह, शीतक भण्डारगृह, बंधक भण्डारगृह, रेल्वे भण्डारगृह, कृषकों द्वारा निर्मित भण्डारगृह, वर्गीकृत भण्डारगृह, भण्डारगृह निगमों के भण्डारगृह, अन्य भण्डारगृह (साइलो, बिन, एलिवेटर, कैंप भण्डारण, हस्तांतरणीय भण्डारगृह, स्वचलित भण्डारगृह, क्षेत्र भण्डारगृह, अनुबंध भण्डारगृह, कारखाना प्रतिबंधित भण्डारगृह एवं वेयरहाउसिंग हब) आदि।

भाण्डारगृहों से लाभ :–

किसान व व्यापारी अपने खाद्यानों को जब तक सुरक्षित रख सकते है, जब तक उन्हें इसका उचित बाजार मूल्य प्राप्त न हो जाये या जब तक उन्हें आवश्यकता न हों। वैज्ञानिक भण्डारण प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता को उत्पाद की सुरक्षा, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, स्थानांतरण, कीटोंउपचार, विपणन, परिवहन, पैकिंग, मूल्यस्थिरीकरण, मांग व पूर्ति में संतुलन व निश्चिंत संग्रहण की सुविधा आदि का लाभ मिलता है, वही दूसरी ओर अति महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने द्वारा भण्डारित किये गये स्कंध की भण्डारगृह रसिद पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकार द्वारा अनुसूचित बैंक से अपनी पात्रता सिद्व करते हुये प्रति कृषक अधिकतम १ लाख रूपये (२५ प्रतिशत मार्जिनमनी के साथ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर छः माह की पुनर्भुगतान अवधि की शर्तो के अधीन साख सुविधा ले सकता है। जबकि व्यापारिक अपनी निश्चित वांछनीय पात्रता सिद्व करते हुये १० लाख रूपये तक मांग ऋण एवं १० लाख रूपये सें अधिक केवल नगद साख (४० प्रतिशत मार्जिनमनी के साथ) समय-समय पर निर्धारित दर से ३ से ६ माह अथवा वेयर हाऊस रसीद की तिथि (जो भी पहले हो) की अवधि के लिये वित्त सुविधा ले सकता है।

इससे किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी आती है। स्कंध को आकस्मकताओं, आग, चोरी आदि से बचाने के लिये बीमा प्राप्त हो जाता है। श्रमिकों को कई रूपों में रोजगार प्राप्त होता है ।

उपभोगताओं को वर्षभर वस्तुओं की आपूर्ति करना संभव हो जाता है। भण्डारगृहों से प्राप्त आय भारतीय आयकर अधिनियम की धारा १० (२९) में कर मुक्त आय है। जमाकर्त्ताओं को वैज्ञानिक भण्डारण से कीडों, चूहों, पक्षियों व दीमक से सुरक्षा व सरकार को भी इससे

कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते है।

समस्यायें :–

१.खाद्यानों व उर्वरकों का एक ही स्थान पर भण्डारण करने से खाद्यान की गुणवत्ता में कमी होना।
२.स्कंध का लंबित अवधि तक भण्डारण होने से श्रेणी व वनज में कमी होना।
३.जमाकर्त्ताओं द्वारा जमा स्कंध मानक गुणवत्ता स्तर का न होना, जिस कारण लाभदायकता घटती है।
४.जमा के समय नई फसल में नमी का प्रतिशत अधिक होना।
५.कृषकों व व्यापारियों को भण्डारगृह एवं भण्डारगृह रसीद से प्राप्त लाभों की जानकारी का न होना।
६.भण्डारगृहों पर सुरक्षा व सुविधाओं की कमी।
७.निजी भण्डारगृह स्थापित करने में उद्यमियों में रूचि की कमी।
८.भण्डारण तकनीकों के लिये शोध व अनुसंधान कार्य का न के बराबर होना।

सुझाव :–

१. वैज्ञानिक भण्डारण के लिये प्रर्याप्त सरकारी तंत्र विकसित करना चाहिए।
२. स्कंध की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिए।
३. आबादी की वृद्धि के साथ खाद्यान्न की उपलब्धता व भण्डारण क्षमता घटना नहीं चाहिए।
४. भण्डारगृहों का वृहद् जाल फैलाना होगा ताकि बम्फर स्टाक की स्थिति में उसे सुरक्षित किया जा सकें।
५. परिवाहन व संचार के साधनों का विकास करना होगा।
६. मण्डियों में भण्डारगृहों की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा।
७. किसानों का दृष्टिकोण आर्थिक से वैज्ञानिक बनाना होगा।
८. भण्डारण की दरों को आपेक्षाकृत कम व पुर्नरीक्षित करना होगा।
९. भण्डारण तकनीकों के लिए आवश्यक शोध व अनुसंधान कार्य करना चाहिए।
१०. निजी भण्डारण व्यवस्था को पारदर्शी सुदृढ़ व जन-उपयोगी बनाना होगा ताकि वह केवल लाभ कमाने के लिए न हो।
११. भण्डारगृहों में खाद्यान्न सुरक्षा हेतु (चूहो, कीट, पतंगों, कीड़ों, दीमक आदि) पर्याप्त उपाय योग्य व परिशिक्षित वैज्ञानिक भण्डारण अधिकारियों की निगरानी में करवाये जाये।

निष्कर्ष :–

अन्य देशों की तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा आज भी अच्छा है। इसके बावजूद भी भारत की तस्वीर निराशाजनक नही तो, संतोषप्रद भी नहीं कही जा सकती क्योकि हमारे यहां आज भी गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, भूखमरी और आधारभूत सेवाओं व सुविधाओं की कमी है। एन.ई. वौरलाग एवं एम.एस. स्वामीनाथन के विज्ञान एवं परिश्रम ने देश में हरितक्रांति को जन्म दिया, जिससे हमारे देश का उत्पादन ५० मिलियन टन से बढ़कर १५० मिलियन टन हो गया, परन्तु अब भी देश में खाद्यान्न भण्डारण के आभाव से उत्पादित खाद्यान्न की क्षति के कारण खाद्यान्न सुरक्षा हमारी प्रमुख व भयावह समस्या थी। जिसके उपाय के लिए इस दिशा में सरकार ने स्वंय व अपने निसयंत्रण में निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्यवाही प्रारांभ की और कृषि उपज मंड़ी, सहकारी विपणन संघ, भारतीय खाद्य निगम, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम एवं राज्यों में राज्य भण्डारगृह एवं लॉजिस्टिक्स् कार्पोरेशन जैसी संस्थाओं की स्थापन की और इन्हें भण्डारण का दायित्व सौपा। इन संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों ने खाद्य – सुरक्षा और उससे संबंधित प्रमुख समस्याओं में से एक वैज्ञानिक भण्डारण प्राणाली में हमें सक्षम बनाया और वे अपने उद्देश्यों पर खरी उतरी है। खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण की प्रक्रिया ने हमारे देश को खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

१.मध्यप्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम नियम, १९७१
२.अधिनियम मध्यप्रदेश शासन : राज्य भण्डारगृह निगम अधिनियम ,१९६२
३.निजी वेयर हाउस संचालन हेतु मार्गदशिका : मध्यप्रदेश राज्य भण्डारगृह, भोपाल
४.www.google.com/wikipedia.com

डॉ.राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शासकीय महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-
413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com